फर्द अहकाम

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

दीवान फाईनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एक पंजीकृत कम्पनी(पंजीकृत अन्तर्गत कम्पनीज एक्ट, 1956) पंजीकृत कार्यालय– वार्डन हाऊस, द्वितीय तल, सर, पी.एम. रोड़, फार्ट मुम्बई–400001 तथा शाखा कार्यालय–302/5, तृतीय तल, जयपुर टावर, एम.आई. रोड., जयपुर, राजस्थान जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री मुकेश कुमार यादव।

– प्रार्थी कम्पनी

बनाम

1– श्री सैफुल इस्लाम
पता– (1) निवासी प्लाट नं. 195–सी ब्लॉक, द्वारका नगर, कांकरोली, राजसमन्द, राजस्थान।
(2) निवासी राजा कॉलोनी, राजसमन्द, उदयपुर, राजस्थान 313324
(3) कार्यालय पता– कार्यालय राजसमन्द रेल मंगरा, राजसमन्द, उदयपुर राजस्थान।

(ऋणी/बंधककर्ता)

2– श्रीमती फरजाना पठान
पता– निवासी राजा कॉलोनी, राजसमन्द, उदयपुर, राजस्थान 313324
पता– निवासी प्लाट नम्बर 195सी, सी ब्लॉक, द्वारका नगर, कांकरोली, राजसमन्द, राजस्थान।

(सहऋणी)

–अप्रार्थीगण

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र सिक्यूटराईजेशन **पत्रावली संख्या 02/2019**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 18.03.2019 प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी दीवान फाईनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर ने दिनांकः 11.01.2019 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी दीवान फाईनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर से विपक्षी 1– श्री सैफुल इस्लाम, पता– (1) निवासी प्लाट नं. 195–सी ब्लॉक, द्वारका नगर, कांकरोली, राजसमन्द, राजस्थान। (2) निवासी राजा कॉलोनी, राजसमन्द, उदयपुर, राजस्थान 313324 (3) कार्यालय पता– कार्यालय राजसमन्द रेल मंगरा, राजसमन्द, उदयपुर राजस्थान व सह–ऋणी 2– श्रीमती फरजाना पठान, पता– निवासी राजा कॉलोनी, राजसमन्द, उदयपुर, राजस्थान 313324, पता– निवासी प्लाट नम्बर 195सी, सी ब्लॉक, द्वारका नगर, कांकरोली राजसमन्द, राजस्थान को अप्रार्थीगण ने प्रार्थी कम्पनी से जरिये ऋण करार संख्या 00000634 के द्वारा 10,64,606/– का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने उक्त ऋण मय ब्याज के पूर्नभुगतान की सिक्योरिटी के पेटे अपनी अचल सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 195–सी, सी ब्लॉक द्वारका नगर,	

न्यायालय जिला कलक्टर

कांकारोली राजसमन्द को प्रार्थी कम्पनी के पास रहन किया। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी कम्पनी के उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और दिनांक 01.05.2018 को ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम डिफाल्ट होने पर अप्रार्थीगण के उक्त ऋण खाते को एन.पी.ए. घोषित कर दिया है। प्रार्थी कम्पनी ने अप्रार्थीगण के ऋण खाता संख्या 00000634 में बकाया रूपये 10,46,349/–रूपये (अक्षरे दस लाख छियालिस हजार तीन सौ उनचास रूपये मात्र) व ब्याज दिनांक 16.05.2018 तक शेष व देय निकलते है की मांग हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 19.05.2018 को एक मांग नोटिस भी जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. डाक के माध्यम से अप्रार्थीगण को उनके ज्ञात पतों पर प्रेषित किये तथा उक्त धारा 13(2) का नोटिस दिनांक 01.06.2018 को दो मुख्य अखबार क्रमशः हिन्दी में **"दैनिक लोकमत"** व अंग्रेजी में **"टाईम्स ऑफ इण्डिया"** में प्रकाशित करवाये गये परन्तु धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति व जानकारी के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा देय राशि का भुगतान प्रार्थी कम्पनी को नहीं किया गया है तथा धारा 13(2) नोटिस दिनांक 19.05.2018 रजिस्ट्री की रसीदें व उनके दो मुख्य अखबार क्रमशः हिन्दी में **"दैनिक लोकमत"** व अंग्रेजी में **"टाईम्स ऑफ इण्डिया"** में प्रकाशित की गई है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में उक्त ऋण अवधि की पुर्न भुगतान के लिए जो सम्पत्ति रहन रखी है। उसका प्रार्थी कम्पनी में रहन दस्तावेजों के अनुसार विवरण इस प्रकार है। एक आवासीय प्लॉट नम्बर 195सी, सी ब्लॉक, द्वारका नगर, कांकरोली, राजसमंद 313326 में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 495 वर्गफीट है तथा उक्त सम्पत्ति श्री सैफुल इस्लाम पुत्र श्री अब्दुल रज्जाक के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांकित 31.03.2015 के अनुसार लिखी गई है। प्राधिकृत अधिकारी ने दिनांक 15.09.2018 को ऋणी व सहऋणी को प्रतिभूत आस्ति का भौतिक कब्जा शान्ति पूर्ण प्रदान करने का निवेदन किया तो अप्रार्थीगण ने प्रतिभूत आस्ति का भौतिक कब्जा देने से मना कर दिया तब प्राधिकृत अधिकारी ने न्याय व्यवस्था में व्यवधान होने का अंदेशा जानकर उक्त प्रतिभूत आस्ति का सांकेतिक कब्जा लिया तथा उक्त नोटिस, दिनांक 19.09.2018 को दो मुख्य अखबारों क्रमशः हिन्दी में "दैनिक लोकमत" व अंग्रेजी में "दी इण्डियन एक्सप्रेस" में भी प्रकाशित करवाया गया परन्तु ततपश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा बंधक सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा प्रार्थी कम्पनी को सौपा नहीं गया।

मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकः 04.10.2016 सिविल रिट पिटिशन नं0 6256/2016 कि धारा 14 के प्रावधानों के तहत यह आदेश एकपक्षीय सुनवाई कर जारी किया जा सकता हैं विपक्षी को उक्त मामले में सुनवाई हेतु नोटिस जारी करने की कानूनन कोई आवश्यकता नहीं हैं।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा ऋणी तथा गारण्टर को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस दिनांकः 19.05.2018 को जारी किया गया था। उक्त नोटिस विपक्षी को उनके पते पर तामिल होने संबंधी रजिस्टर्ड ए0डी0 की रसीदे प्रस्तुत की गयी एवं अखबार में दिनांकः 01.06.2018 को नोटिस का प्रकाशन करवाया गया जिसकी प्रति पेश की गयी।

आवेदक बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी दीवान फाईनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर द्वारा प्रस्तुत दावे अनुसार विपक्षी ऋणी/सहऋणी प्लाट नम्बर 195सी, सी ब्लॉक, द्वारका नगर, कांकरोली राजसमन्द, राजस्थान में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 495 वर्गफिट है

उपरोक्त सम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त निवासी सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी दीवान फाईनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर के अधिकृत प्रतिनिधि/अभिभाषक को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी दीवान फाईनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)